फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

महावीर सिंह बनाम बाबुलाल

किस्म मुकदमा– 225 आरटीए **नम्बर 84/2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.12.19	अभिभाषक अपीलांट विजय भादाणी उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा एक वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र पर अप्रार्थ्ज्ञी द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलांट/वादी को सूचित किये बिना पत्रावली में प्राथी को अनावश्यक फायदा पहुॅचानें की नियत से पूर्व निर्धारित पेशी से पूर्व प्रकरण में आगामी तारीख पेशी नियत की गई है। जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत होने पर अन्य व्यथित पक्षकार को उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए दोनों पक्षों की उपस्थिति में ही किसी प्रकार के आदेश जारी किये जाने चाहिए थे। अदालत मातहत द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रकरण में अपीलांट/वादी को बिना सूचित किये प्रार्थी को अनावश्यक फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र से तमाम कार्यवाही आनन–फानन में की जा रही है। जिसे न्याय हित में रोका जाना आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उक्त अनावश्यक कार्यवाही पर रोक लगाई जावे। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर विद्वान अभिभाषक अपीलांट को पत्रावली पर सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14–10–2019 के विरूद्व उक्त अपील न्यायालय हाजा को समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार करने की इस्तदुआ की गई है व दौराने बहस अदालत मातहत की पत्रावली तलब करने की मांग की गई है।	

प्रकरण में आदेश में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 14–10–2019 को पत्रावली में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उक्त प्रार्थना पत्र को शामिल मिसल करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 15–10–2019 निर्धारित की गई तथा संबंधित अधिवक्ता को सूचित करने हेतु आदेशित किया गया। जिस पर दिनांक अपीलांट/वादी के अधिवक्ता दिनांक 15–01–2019 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये व आदेशिका में नोटेड दिनांक 17–10–2019 करते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये है। अपीलांट को चाहिए था कि वे अदालत मातहत के समक्ष ही उपस्थित रहते हुए प्रकरण में विधिक कार्यवाही सम्पादित करवाते। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आकर प्रस्तुत अपील के माध्यम से अदालत मातहत की कार्यवाही को रोकने की चेष्टा प्रस्तुत अपील के माध्यम से की गई है।

प्रकरण में चूंकि अदालत मातहत अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलांट के विधिक हितों व अधिकारों पर कोई कुठाराधात नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रकिया के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तमाम कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से क्या अनुतोष चाहते है, साबित करने में असफल रहे है। जहॉ तक अपीलांट का यह कथन कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में अनावश्यक रूप से जल्दबाजी की जा रही है। इस संबंध में हम अदालत मातहत को यह निर्देश देना उचित पाते है कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में विधिक प्रकिया को अपनाते हुए अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.07 18:00:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: